



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बुध्पतिवार, मई 30, 2019/ज्येष्ठ 9, 1941

No. 326]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2019/ JYAISTHA 9, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.नि.390(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-VII में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अनुसूची VII में, मद (xi) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्संरचना कार्यकलापों सहित आपदा प्रबंधन।”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 05/01/2019-सीएसआर]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: अनुसूची-VII दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हुई थी और दिनांक 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.130(अ), दिनांक 31 मार्च, 2014 के शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 261(अ), दिनांक 06 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ), और दिनांक 24 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.741(अ) के द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी) हुई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2019

G.S.R.390(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to Schedule VII of the said Act, namely:-

In the said Schedule VII, after item (xi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

“(xii) disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 05/01/2019-CSR]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The Schedule VII was brought into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended (effective from the 1st April, 2014) vide notification number GSR 130(E), dated the 27th February, 2014, Corrigenda number GSR 261(E) dated the 31st March, 2014, notification number GSR 568(E), dated the 6th August, 2014 and notification number GSR 741(E), dated the 24th October, 2014.